

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 29-3-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,06,59,000/- (एक करोड़ छः लाख उनसठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18, 28(7)ब दिनांक-06.09.18, 29(7)ब दिनांक-10.09.18, 33(7)ब दिनांक-01.10.18, 56(7)ब दिनांक-5.11.18, 60(7)ब दिनांक-03.12.18, 68(7)ब दिनांक-28.12.18, 79(7)ब दिनांक-8.01.19 एवं 81(7)ब दिनांक-10.01.19, 92(7)ब दिनांक-22.02.19 एवं 119(7)ब दिनांक-15.03.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,06,59,000/- (एक करोड़ छः लाख उनसठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।


7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।

10. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
12. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।
13. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राधेश्याम साह )


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 125 (7)9

पटना, दिनांक 29-3-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) में अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

| क्रम | जिला का नाम | यात्रा व्यय (11-01) | कार्यालय व्यय (13-01) | वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02) | वर्दी/पोषाक (13-06) | सामग्री एवं पूर्तियों (21-01) | आहार/पथ्य (21-03) | कुल      | अभ्युक्ति   |
|------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 1    | 2           | 3                   | 4                     |                                  | 5                   | 6                             | 7                 | 8        | 9           |
| 1    | मोतिहारी    | 0                   | 200000                |                                  | 0                   | 0                             | 5000000           | 5200000  | 625/18.3.19 |
| 2    | मधुबनी      | 329000              | 380000                |                                  | 300000              | 1300000                       | 1000000           | 3309000  | 703/14.3.19 |
| 3    | कैमूर(ममुआ) | 60000               | 30000                 | 60000                            | 0                   | 0                             | 2000000           | 2150000  | 482/15.3.19 |
|      | कुल         | 389000              | 610000                | 60000                            | 300000              | 1300000                       | 8000000           | 10659000 |             |

(एक करोड़ छः लाख उनसठ हजार) रू० मात्र

*(Handwritten Signature)*

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई एवं कोड                    | बजट उपबंध   | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|---------|--|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1       | 2  | 3           | 4                     | 5                   | 6               | 7          |
| 1       | वेतन (0001-01-01)                        | 5999146000  | 5999146000            | 0                   | 5999146000      | 0          |
| 2       | जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)             | 899872000   | 899872000             | 0                   | 899872000       | 0          |
| 3       | मकान किराया भत्ता (0001-01-04)           | 959863000   | 959863000             | 0                   | 959863000       | 0          |
| 4       | परिवहन भत्ता (0001-01-05)                | 1930000     | 1871800               | 0                   | 1871800         | 58200      |
| 5       | चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)              | 152352000   | 152352000             | 0                   | 152352000       | 0          |
| 6       | अन्य भत्ता (0001-01-07)                  | 119982000   | 119982000             | 0                   | 119982000       | 0          |
| 7       | त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)              | 5000000     | 0                     | 0                   | 0               | 5000000    |
|         | योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन          | 8138145000  | 8133086800            | 0                   | 8133086800      | 5058200    |
| 8       | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)        | 5000000     | 4959785               | 0                   | 4959785         | 40215      |
| 9       | यात्रा व्यय (0001-11-01)                 | 6400000     | 3841550               | 389000              | 4230550         | 2169450    |
| 10      | कार्यालय व्यय (0001-13-01)               | 9200000     | 6114000               | 610000              | 6724000         | 2476000    |
| 11      | वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)    | 23000000    | 12160000              | 60000               | 12220000        | 10780000   |
| 12      | दूरभाष (0001-13-03)                      | 10000000    | 5769844               | 0                   | 5769844         | 4230156    |
| 13      | विद्युत प्रभार (0001-13-04)              | 40000000    | 40000000              | 0                   | 40000000        | 0          |
| 14      | विधि प्रभार (0001-13-05)                 | 2000000     | 1986500               | 0                   | 1986500         | 13500      |
| 15      | वर्दी/पोषाक (0001-13-06)                 | 6390000     | 5118500               | 300000              | 5418500         | 971500     |
| 16      | किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)         | 7500000     | 7500000               | 0                   | 7500000         | 0          |
| 17      | प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)              | 23268000    | 36000                 | 0                   | 36000           | 23232000   |
| 18      | सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)       | 66200000    | 51973000              | 1300000             | 53273000        | 12927000   |
| 19      | दवा भंडार (0001-21-02)                   | 660000000   | 660000000             | 0                   | 660000000       | 0          |
| 20      | आहार/पथ्य (0001-21-03)                   | 100000000   | 75278000              | 8000000             | 83278000        | 16722000   |
| 21      | लघु कार्य (0001-27-01)                   | 1000        | 0                     | 0                   | 0               | 1000       |
| 22      | अनुसंधान एवं मरम्मत (0001-27-02)         | 10000000    | 0                     | 0                   | 0               | 10000000   |
| 23      | संविदा सेवाएँ (0001-28-02)               | 1000000000  | 1000000000            | 0                   | 1000000000      | 0          |
| 24      | व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04) | 1500000000  | 1500000000            | 0                   | 1500000000      | 0          |
| 25      | मशीनें एवं उपस्कर (0001-52-01)           | 30000000    | 30000000              | 0                   | 30000000        | 0          |
|         | कुल योग:-                                | 11637104000 | 11537823979           | 10659000            | 11548482979     | 88621021   |

125(7) a  
29-3-19

*(Handwritten Signature)*  
सरकार के विशेष सचिव